3/4/25 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधि. उप.। मजिद बहस सुनी गई। बहस पर चिन्तन व मनन किया गया। पत्रावली एंव उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तो जाहिर आया कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की होकर दर्ज राजस्व रेकर्ड है। प्रार्थीगण का कथन है कि विपक्षी उक्त वादग्रस्त भूमि मे प्रार्थीगण के उपयोग-उपभोग मे बाधा उत्पन्न कर रहा है व प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला सुविधा, संतुलन एंव अपुरणीय तीनों ही बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष मे होना सिद्ध होता है। अतः प्रार्थीगण का प्र.पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA का स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम कोठारिया अ के वादग्रस्त आराजी संख्या 229, 230, 231, 232, 233 कुल किता-05 कुल रकबा 02-11 बीघा भूमि की वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखने अर्थात प्रार्थीगण के उपयोग-उपभोग मे बाधा कारित नही करे के आदेश दिये जाते है। इस हेतु विपक्षी को पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नकल रो कम की जावे।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द